



शैल

ई-पेपर

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 06-13 मार्च 2017 मूल्य पांच रूपए

भोरंज उप चुनाव होगा प्रतिष्ठा और परीक्षा का सवाल

शिमला/शैल। हमीरपुर की भोरंज विधानसभा का उपचुनाव 9 अप्रैल के लिये घोषित हो गया है। प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी इसी वर्ष के अन्त तक होने हैं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं ने वीरभद्र को सातवीं बार मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा और दावा कर रखा है।

दूसरी ओर भाजपा ने देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित कर रखा है। इस समय भाजपा ने जिस तरह उत्तराखण्ड और यूपी में सत्ता हासिल की है उससे वह इस लक्ष्य की ओर बढ़ती भी नजर आ रही है। भले ही इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का एक बड़ा सन्देश यह भी है कि सभी जगह सत्तारूढ़ सरकारें हारी हैं और उत्तराखण्ड तथा गोवा में तो मुख्यमंत्री भी हारे हैं लेकिन सत्तारूढ़ सरकारों की हार से यूपी और उत्तराखण्ड में मिला प्रचण्ड बहुमत एक बड़ा सन्देश बन गया है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस को भी वैसा ही प्रचण्ड बहुमत मिला है। इस परिदृश्य में होने जा रहे भोरंज विधानसभा के उपचुनाव की राजनीतिक महत्ता प्रदेश के संदर्भ में बड़ी हो जाती है।

पूर्व शिक्षा मन्त्री स्व० ईश्वर दास धीमान के निधन से खाली हुई सीट पर एक लम्बे अरसे से भाजपा का कब्जा चला आ रहा है। इसमें हमीरपुर से ही प्रेम कुमार धूमल के दो बार मुख्यमंत्री होने का योगदान भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इस बार वीरभद्र और धूमल दोनों के लिये ही राजनीतिक हालात में बहुत बदलाव आ चुका है। वीरभद्र राजनीतिक सफर के अखिरी पड़ाव पर हैं लेकिन परिवार में उनकी इस विरासत को संभालने वाला अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया है। पत्नी प्रतिभा सिंह दो बार सांसद रहने के बावजूद भी इस गणित में सफल नहीं हो पायी है। अब बेटे विक्रमसिंह सिंह को विधानसभा में देखना उनकी ईच्छा और आवश्यकता दोनों बन चुकी है। इसे पूरा करने के लिये सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने की घोषणा और दावा करना भी उनकी राजनीतिक आवश्यकता है। इस दिशा में जिस तरह से उन्होंने संगठन और सरकार में मन्त्रीयों से इस आशय के समय-समय पर ब्यान दिलवाये हैं वह उनकी रणनीतिक सफलता मानी जा सकती है। लेकिन आने वाले चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? यह एक बड़ा सवाल है विकास के नाम पर जितनी घोषणाएं की गयी है उनकी जमीनी हकीकत क्या है? प्रदेश को संसाधन क्या रहे हैं? चुनावी वायदों को पूरा करने के लिये कितना कर्ज लिया गया है? आज प्रदेश पर जितना कुल कर्जभार हो चुका है उसकी भरपायी के लिये कितना कर्ज

भविष्य में साधन कहां से आयेगे? यदि यह कड़ेऔर कड़े सवाल चुनावी मुद्दे बन गये तो स्थिति सभी के लिये कठिन हो जायेगी। ऐसे में विकास के नाम पर चुनाव लड़ना काफी जोखिम भरा हो सकता है।

इन गंभीर मुद्दों के साथ ही भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जो कि सब पर भारी पड़ जाता है। वीरभद्र के इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा तीन आरोप पत्र सौंप चुकी है। अन्तिम आरोप पत्र में सरकार के मन्त्रीयों से हटकर विभिन्न निगमों-बोर्डों राज्य के सहकारी बैंकों और प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ-साथ कुछ विधायकों तक का जिक्र

इस आरोप पत्र में है। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा में भी आरोप



पत्र का जिक्र आ चुका है। भ्रष्टाचार इसलिये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि जनता यह सहन नहीं करती कि लिये किये जाने वाले विकास के

नाम पर विकास केवल भ्रष्टाचार किया जाये। इस परिपेक्ष में भाजपा के आरोपपत्र

कांग्रेस और वीरभद्र पर भारी पड़ सकते हैं। यदि उन्हें चर्चा में ला दिया गया तो। फिर वीरभद्र स्वयं सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार के संदर्भ में वीरभद्र ने धूमल को घेरने के जितने भी प्रयास किये हैं उनमें सफलता की बजाये केवल फजीहत का ही सामना करना पड़ा है। वीरभद्र ने इन सारे संभावित सवालों से ध्यान बांटने के लिये ही

धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाये जाने की घोषणा की है। मन्त्री मण्डल से भी इस पर मोहर लगावा ली है। इसी के साथ बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा कर दी गयी है। अपने गिर्द बने मामलों के लिये वीरभद्र इसे धूमल-अनुराग और जेटली का पड्यंत्र करार देते आ रहे हैं। जनता में वह हर संभव मंच से यह कहना नहीं भूलते हैं कि एक ही मामले की जांच के लिये केन्द्र सरकार ने उनके खिलाफ तीन-तीन एजेंसीयां लगा रखी है और यह सच भी है अभी तक वीरभद्र के अपने खिलाफ केन्द्र की कोई भी एजेंसी बड़ा कुछ नहीं कर पायी है। अदालत में भी फौसला काफी अरसे से लबित चला आ रहा है। ऐसे में धूमल और वीरभद्र भोरंज के उपचुनाव में किस तरह के मुद्दों को उछालते हैं या फिर इसे मोदी लहर के नाम पर छोड़ देते हैं इस संदर्भ में यह उपचुनाव दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा और परीक्षा का सवाल बन जायेगा यह तय है।

15 लाख या इससे अधिक के पुराने नोट जमा करवाने वाले आयकर के रैडार पर

शिमला/शैल।

आठ नवम्बर को लागू हुई नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया था। इसके बाद इन पुराने नोटों को बैंक में जाकर बदलवाने या अपने स्वतः में जमा करवाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसके लिये सरकार ने 30 दिसम्बर तक का वक़्त दिया था। इसके बाद 31 मार्च तक इन पुराने नोटों को रिजर्व बैंक की चिन्हित शाखाओं में ही जमा करवाया जा सकता है। 30 दिसम्बर तक करोड़ों खातों में यह नोट जमा हुए हैं। 31 मार्च तक और समय है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने यह समय सीमा बढ़ाये जाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। इस पर केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसमें समय बढ़ाने के हक में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिकाएं आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोगों के पास अभी पुराने 500 और 1000 के नोट हैं। इस वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए सरकार ने एक बार फिर प्रधान मन्त्री गरीब कल्याण योजना

550 लोगों ने नहीं दिया नोटिस का जवाब

के तहत 50% टैक्स और 25% तक चार वर्ष के लिये बिना ब्याज के इस योजना में निवेश करने का मौका दिया है यह खुलासा प्रदेश के प्रधान चीफ कमिश्नर ने एक पत्रकार वार्ता में किया है।

इस वार्ता में यह भी खुलासा हुआ कि प्रदेश में 30 दिसम्बर तक हजारों की संख्या में पुराने नोट जमा करवाये गये हैं। इनकी कुल संख्या और जमा करवाने वालों की कुल संख्या का अभी तक आकलन किया जा रहा है। लेकिन इसमें जिन लोगों ने 15 लाख और इससे अधिक की राशी जमा करवाई है ऐसे लोगों से उनकी आय का स्रोत पूछा जा रहा है। इसके लिये विभाग ने वाक्यांश लोगों को नोटिस भेजे हैं। विभाग द्वारा भेजे गये नोटिसों पर अभी तक 550 लोगों का जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि इन लोगों में ऐसे भी हैं जिन्होंने एक करोड़ या इससे भी अधिक पैसा जमा करवाया है। शिमला में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का पैसा जमा करवाया है।

जनधन खातों के माध्यम से भी कुछ लोगों द्वारा भारी संख्या में पैसा जमा करवाये जाने की संभावना है। कोई व्यक्ति अपने घर में कितना कैश रख सकता है इसको लेकर कोई सीमा तय नहीं है। इसमें केवल यही आवश्यकता है कि ऐसे कैश का वैध स्रोत होना चाहिए। इसे संबधित व्यक्ति की आयकर रिटर्न के साथ मिलाकर फौसला लिया जायेगा। इसमें उन लोगों के लिये थोड़ी कठिनाई आ सकती है जिन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि या बागवानी बता रखा है। क्योंकि कृषि और बागवानी से होने वाली आय पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगता है।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के सहकारी बैंक के माध्यम से 500 और 1000 के 653 करोड़ के पुराने नोट जमा हुए हैं। इसमें अकेले सोलन में ही 153 करोड़ जमा हुए हैं शिमला, चम्बा, मण्डी, किन्नौर आदि सेब उत्पादक क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं दूसरे बैंकों से कहीं ज्यादा हैं और इन सबमें करोड़ों के हिसाब से पुराने नोट

जमा हुए हैं। इनके कई खाता धारकों को आयकर विभाग के नोटिस मिल चुके हैं। जिनमें से कई लोगों ने अभी तक जबाब दायर नहीं किये हैं। सूत्रों की माने तो बहुत सारे लोगों के पास सेब/फल बेचने को इस आधार पर दिखावटी आय और प्रमाणित करने के वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। कुछ मामलों में सेब आदितियों/कमीशन एजेंटों के पास भी उचित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में कभी भी बड़ी कारवाई की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। शिमला में पिछले दिनों जिन सोना व्यापारियों का रिकार्ड खंगालने आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दी थी। सूत्रों के मुताबिक उनके खंगाले गये दस्तावेजों में सोने की खरीद और बेच के रिकार्ड में काफी अन्तर पाया गया है। चर्चा है कि एक ज्वैलर के पास 20 करोड़ की खरीद/बेच के जो दस्तावेज मिले हैं उनकी प्रमाणिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। इस खरीद/बेच का संबंध प्रदेश के राजनेताओं और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ जोड़ा जा रहा है। पुराने नोटों के जमा करवाये जाने के साथ ही बेनामी संपत्तियों को लेकर भी बड़े पैमाने पर कारवाई चल पड़ी है। इसमें भी कई लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं।

नौ औद्योगिक इकाईयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 82वीं राज्य स्तरीय एकल लिखत स्वीकृति एवं अनुमति प्राधिकरण की बैठक में मण्डि जिला

स्लिटिड कनफैक्शनड सेसीटाईजड फोटोग्राफिक पेपर उत्पादन के लिये मैसर्स नेक्स्ट स्टार डिजिटल को, पॉलीयूरीथेन सेडविच पैनेलस, लॉयडेक शीटीगंज, रॉकवुल सेडविच



की करसंग तहसील के रनडोल गांव में ड्राई वॉल पुट्टी उत्पादन के लिए मै. आविश गुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के नए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, नौ इकाईयों के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई। 415 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता वाले कुल 107.73 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान की गईं।

उद्योग मंत्री मुकुंश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर व मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव, निदेशक उद्योग तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

विस्तार की स्वीकृति प्राप्त करने वाली इकाईयां में वाहनो के कल पुर्जे इत्यादि के निर्माण के लिए, मैसर्स एमडोस ऑटोकार्प लिमिटेड (यूनिट एम्पावर) को, बटर, कैश्यू, डाइस्टिच मैरी के उत्पादन के लिये मैसर्स यूनाईटेड बिस्किट्स प्राईवेट लिमिटेड को, डीवीडी, सीडीआर तथा

पेनलस तथा इंसुलेशन प्रोडक्ट्स उत्पादन के लिये मैसर्स आईसो लॉर्ड इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड पीयू (यूनिट-2) को, दवाईयों के निर्माण के लिये मैसर्स फार्मा फोरस लैब यूनिट-2 को, साबुन, शैम्पू, शावर जेल, क्रीम तथा लोशन के उत्पादन के लिये मैसर्स आईटीसी लिमिटेड को, एंगल चैनल, स्टील इनगोट्स उत्पादन के लिए मैसर्स कुडलाज लोह उद्योग को, पैट बॉटल्स, एचडीपीई बॉटल्स, पीपी कोप्स मयरीस कौस उत्पादन के लिये मैसर्स माईक्रोपेट कंटेनर्स आईएनसी को और ऑटोमोटिव सेफ्टी ग्लास उत्पादन के लिए मैसर्स अतुल ऑटोमोटिव सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज को स्वीकृतियां प्रदान की गईं।

मुख्यमंत्री ने बेहतर ढंग से कार्य करने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा से समस्याओं के हल निकालने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ताओं को 25 मार्च तक डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे: बाली

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी. एस. बाली ने कहा कि विभाग समूचे प्रदेश में राशन कार्डों के डिजिटल राशन तथा उचित मूल्यों की दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों की स्थापना कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आटोमेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटीकरण पर होने वाले व्यय का केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत 25 मार्च, 2017 तक लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड व्हायर कोडिड राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि राशन कार्ड प्रपत्रों की डिजिटल राशन कार्ड कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है तथा राशन कार्ड प्रिंट करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आटोमेशन के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2017 तक उचित मूल्यों की दुकानों में पीओएस मशीनें स्थापित कर दी जाएंगी और राशन का

वितरण बायोमेट्रिक तथा लाभार्थी के आधार नम्बर की मदद से किया जाएगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के परिवर्तन को



रोकेगा। बाली ने कहा कि अभी तक 78.67 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। उचित मूल्यों की दुकानों में 3 माह के भीतर पीओएस उपकरणों की स्थापना कर दी जाएगी और इसके उपरान्त शत-प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार केवल वास्तविक एवं पात्र लाभार्थी ही इन उचित मूल्यों की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि विभाग मैनुअल प्रणाली से आटोमेशन में परिवर्तित हो रहा है और इसके दायित्वगत कुछ

कामियां रहने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड अथवा पात्रता को लेकर लाभार्थी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के खण्ड निरीक्षक से सम्पर्क कर सकता है और विभाग किसी भी प्रकार की शुद्धि अथवा अन्य बदलाव तत्काल बिना किसी शुल्क के करेगा।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2016 मार्च, 2017 के बीच भारत सरकार द्वारा गेहूं का आवंटन न किए जाने के कारण एपीएल लाभार्थियों को गेहूं का आटा प्रदान नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इसके बदले में उन्हें अतिरिक्त मात्र में चावल उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2017 के लिए गेहूं का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है और एपीएल परिवारों को अप्रैल, 2017 से गेहूं का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा।

बाली ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोई भी उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर: 18001800-1 80-8026 अथवा टॉल फ्री नम्बर: 1967 पर सम्पर्क कर सकता है।

हिमाचल को बाह्य शौच मुक्त बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान: अंकार शर्मा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लिये यह गौरव की बात है कि राज्य ने देश के बड़े राज्यों में सबसे पहले बाह्य शौच मुक्त बनने का पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छता व स्वास्थ्य से जुड़े इस महान् यज्ञ में राज्य की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अंकार शर्मा ने शिमला के समीप मशोबरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा स्वच्छ शक्ति सप्ताह के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में विकास खण्ड मशोबरा से आई महिलाओं को संबोधित करते हुए कही।

अंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विकास और सामाजिक सरोकार के लक्ष्यों को हासिल करना बेशक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहां की महिलाएं शक्ति, परिश्रम एवं कर्तव्यपरायण हैं और किसी भी कार्य को लम्बे एवं इमानदारी से करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम प्रत्येक लक्ष्य को सहज ही हासिल कर पाने में कामयाब होते हैं। महिलाओं की समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के चलते आज सामाजिक व आर्थिक परिवेश में बड़ा बदलाव आया है और प्रदेश ने विकास के अनेक मील पत्थर

स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है ताकि स्वच्छ भारत के सपने को पूरी तरह से साकार किया जा सके। हालांकि, शिमला जिला ने बहुत पहले बाह्य शौच मुक्त बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, लेकिन कुछ अन्य घटकों जैसे ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंधन इत्यादि के सही निस्तारण के क्षेत्र में अभी और कार्य करना शेष है जिसकी शुरुआत जिले में कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य जबकि शेष पंचायतों में यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रधान सचिव ने इस अवसर पर महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने

वाले महिला मण्डलों को सम्मानित भी निदेशक आर. सेल्वम ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज हमारे प्रदेश में नारियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति काफी मजबूत है और राज्य में इनके उत्थान के लिये अनेकों योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं नरेंद्रा में कार्य करके न केवल अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार मण्डल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिशा में कार्य किया जा रहा है।

हमीरपुर के लिए 60 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 60 करोड़ रुपये की लागत से 43 सड़कें मंजूर हुई हैं। इस आवंटन के लिए अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर जी का आभार व्यक्त किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता की मांग पर उन्होंने इन सड़कों को पत्र लिखकर इन सड़कों के लिए धन मंजूर करवाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि, झुंडा क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से 5 सड़कें बनेगी, जिसमें 3 सड़कें नई होंगी और 2 को स्टरोन्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र में 11 करोड़ रुपये की लागत से 6 सड़कें बनेगी,

जिसमें 2 सड़कें नई बनेगी और 4 को स्टरोन्त किया जायेगा। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि देहरा में 2.91 करोड़ की लागत से 1 नई सड़क बनेगी। उन्होंने कहा कि कुटलहड़ क्षेत्र लगभग 4 करोड़ की लागत से 2 नई सड़कें बनेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे ज्यादा 29 करोड़ की लागत से 14 नई सड़कें धर्मपुर क्षेत्र में बनेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए इस तरह 60 करोड़ की लागत से 43 सड़कें बनेगी। इन सड़कों के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च करेगी और राज्य सरकार को केवल 10 प्रतिशत खर्च करना है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों की सड़कों की सुविधा मिलेगी और उनकी आवागमन की समस्या दूर होगी।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 68& are hereby invited the Executive Engineer Tauni Devi Division, H.P. PWD Tauni Devi for the following works on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.PWD do as to reach in this office as per time schedule given below :-

1. Date of receipt of Application for tender forms :- 10.04.2017 upto 4:00 PM
2. Date of issue /sale of Tender forms (against cash payment):- 11.04.2017 upto 5:00 PM.
3. Date of received of tender :- 12.04.2017 upto 10:30AM.
4. Date of opening of Tender:- 12.04.2017 at 11:00 A.M.

Sr. Name of work No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of form
1. Improvement of Black Spots Bassi Badhan vai Joh road km 0/0 to 2/800 (SH-C/O R/wall at RD 1/470 to 1/495)	359790/-	7200/-	Two Months	350/-

The documents shall be issued only to those contractors /firms who fulfil the following criteria and submit the following documents with the application:-

1. The valid enlistment /registration of contractor in appropriate class.
2. Permanent Account Number (PAN).
3. Sale Tax /vat /TIN registration under H.P. General Tax Act 1968.
4. Earnest Money in the shape of National saving certificate /time deposit Account in any of the Post office in H.P. F.D.R. from any National Bank /i/c Kangra Central Cooperative Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer.
5. The earnest money & cost of tender form for the above works should be submitted with the application for the purchase of the tender forms . The application received without earnest money & cost of tender form shall summarily be rejected.
6. Tax Clearance Certificate (T.C.C) issued from the concerned Excise and Taxation department.
7. Ambiguous /telegraphic /Conditional tenders or tender by fax E-mail shall not be entertained /considered and will summarily be rejected.
8. Executive Engineer reserves the right to reject or cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
9. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.
10. If the date given above happens to be a holiday , the same shall be processed on next working day.
11. The contractors /firms must quote their rates in words as well as in figures failing which XEN reserves the right to accept /reject any or all tenders.
12. The tender forms will not be issued to those contractors /firms whose previous performance is not found satisfactory and who have not executed /completed the previous awarded works within the stipulated period of completion.
13. One contractor contractor should not have more than two major works in hand at a time.
14. Work should be completed by the contractor within the stipulated period.
15. Work completion and work in hand certificate by the concerned Executive Engineer must be attached with the application for issue of tender form.

Adv. No.- 4778/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी

भारती शर्मा

रजनीश शर्मा

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सुरेन्द्र ठाकुर

रीना

धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने से बढ़ेगा क्षेत्रीय टकराव:बालनाहटा

शिमला/जे.पी.भारद्वाज

रोहड़ के पूर्व विधायक खुशी राम बालनाहटा ने कहा है कि वीरभद्र सरकार द्वारा धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित



करने से अनावश्यक रूप से क्षेत्रीय टकराव बढ़ेगा और वित्तीय संकट खड़ा होगा। बालनाहटा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह कहना कि उस क्षेत्र की जनता को लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया

है न केवल हास्यास्पद है अपितु राजनीति बेईमानी भी है। अंग्रेजों के राज में जब सारे देश की राजधानी शिमला थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी प्रान्त इसी राजधानी से शासित होते थे तब देश के किसी कोने से भी इसका विरोध नहीं हुआ था। किन्तु आज जब शिमला से 6 घण्टों में धर्मशाला पहुँच सकते हैं तो दूसरी राजधानी का औचित्य क्या है। शिमला अंतराष्ट्रीय महत्व का शहर है यहाँ पर पहले से राजधानी की सारी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है जबकि दूसरी जगह पर यह सब नव निर्माण करना पड़ेगा।

बालनाहटा ने कहा कि जिस छोटे से प्रदेश पर 40,000 करोड़ रुपये से ऊपर का कर्जा हो और हर वर्ष सैकड़ों करोड़ का अनुत्पादक खर्च बढ़ रहा हो ऐसे में दूसरी राजधानी का निर्णय प्रदेश हित में नहीं बल्कि आगामी विधान सभा चुनावों को ध्यान में रख कर लिया गया निर्णय है।

बालनाहटा ने माँग की कि

मुख्यमंत्री बताएँ कि शिमला धर्मशाला में कितने-2 समय के लिए सरकार बैठेगी? इस पर कुल कितना धन व्यय किया जाएगा, क्या धर्मशाला के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर होगी या शिमला से कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जाएगा?

बालनाहटा ने आरोप लगाया कि वीरभद्र सरकार सारा समय मंत्रियों व मुख्यमंत्री विधायकों को आपसी टकराव में बीत गया इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए यह निर्णय लिया गया क्योंकि यह सरकार बेरोजगारी दूर करने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसी समस्याओं पर पूरी तरह विफल रही है। बालनाहटा ने कहा कि लम्बे समय के पश्चात् सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से नया-पुराना हिमाचल नीचे-ऊपर का हिमाचल जैसे जुमलों को भुलाकर सभी सौहार्दता के साथ प्रदेश में रह रहे हैं, किन्तु लोगों को बांटने वाला यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है जिस जनहित में वापिस लिया जाए।

कांग्रेस आने वाले चुनावों में दस का आंकड़ा पार नहीं कर पायेगी:भाजपा

शिमला/जे.पी.भारद्वाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखण्ड में जिस तरह चली उससे कांग्रेस का सफाया हो गया है। चार राज्यों के चुनावों में भाजपा को मिली जबरदस्त जीत से हमीरपुर भाजपा खुशी की लहर दौड़ गयी है। हमीरपुर शहर के गांधी चौक में जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब पाटखे फोड़े और एक दुसरे को लड्डू बाँट कर खुशी का इजहार किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर माहोल को जोश भरा बना दिया।

इस अवसर पर अनिल ठाकुर ने कहा की प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की सुनामी यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड

में चली है जिसने कांग्रेस का सफाया इन चार राज्यों में किया है। उन्होंने कहा इन चार राज्यों की जीत से कांग्रेस मुक्त भारत के प्रधानमन्त्री के सपने को सुनिश्चित किया है। अनिल ठाकुर ने कहा की इस ऐतिहासिक जीत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस जीत पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने कहा की इन चार राज्यों की जीत से के बाद अब हिमाचल की बारी है पहले भोरज विस का उपचुनाव जीतेगे और उसके बाद प्रदेश में मिशन 50प्लस को सफल बना कर सरकार बनायेंगे। उन्होंने कहा की जिस तरह से भाजपा उत्तरप्रदेश में प्रचंड बहुमत लेकर आई है उसी तरह हिमाचल में भी कांग्रेस का सफाया हो

जाएगा। कांग्रेस आने वाले चुनावों में दस का आंकड़ा पार नहीं करेगी।

इस अवसर पर जिला भाजपा के मिडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, मंडल महामंत्री हरीश शर्मा, राजेश गौतम, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन कपिल, शहरी इकाई के अध्यक्ष सदीप भारद्वाज, वेद प्रकाश भारद्वाज, पार्षद अश्वनी शर्मा, आदित्य पुरी सहित किसान मोर्चा के जुगल किशोर, उधो राम चंदेल, करनार चंद ठाकुर, राजेश ठाकुर, नरेंद्र कँवर, राजेंद्र शर्मा, संजीव ठाकुर, युवा मोर्चा के जिला सचिव जोगिन्दर सिंह, सुमित ठाकुर, महामंत्री पंकज पटियाल, तेन सिंह, अंकुश ठाकुर, सुनील शर्मा, उदय सिंह राठौर, अखिल ठाकुर, विनय सोनी, सुनील कुमार, सुरेश कुमार तथा एनी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हाइड्रो, टूरिज्म तथा हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में उद्यमिता हेतु हिमाचल में अपार संभावनाएं: सीआईआई

शिमला/शैल। सीआईआई के

2016-17 के लिए आयोजित वार्षिक सत्र के दौरान सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ने बिल्लिंग हिमाचल प्रदेश फॉर बेटर टुमोरो विषय पर सत्र का आयोजन किया। सत्र का केंद्र बिंदु परवाणू में रोजगार तथा उद्यमिता रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग, श्रम तथा रोजगार मंत्री सुकेश अग्निहोत्री सहित उद्योगों से विल्यात शिल्पियों, शिक्षाविदों तथा सरकारी अधिकारियों ने सत्र को संबोधित किया।

अग्निहोत्री ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास कर रही है कि नए उद्योग राज्य में आकर स्थापित हो तथा रोजगार के अवसर पैदा करें। इसके साथ ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्टार्ट अप पॉलिसी भी चला रही है जिसके तहत नए उद्यमियों को प्रोत्साहित

किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार में फाइनेंस एंड प्लानिंग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. श्रीकांत बालदी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी सोच के तरीके से बदलाव लाना होगा और नौकरी के स्थान पर उद्यमिता की ओर सोचना आरंभ करना होगा। हाइड्रो, टूरिज्म तथा हॉर्टिकल्चर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार तथा उद्यमिता के मामले में हिमाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास कर रही है कि राज्य में और अधिक रोजगार सृजित हो तथा युवाओं को कौशल प्रदान करना राज्य सरकार की सबसे अधिक प्राथमिकता की सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट

में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था की है।

उद्योग श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रधान सचिव आर डी धीमान ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्त बाधाएं होने के बावजूद भी स्टार्टअप स्क्रीम के तहत अच्छे वित्त प्रावधान किए हैं जिनके तहत कम ब्याज, ब्याज माफी व अन्य प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इस सत्र के आयोजन के लिए भारतीय उद्योग पर्सनल का धन्यवाद भी किया। सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष संजय खुन्ना ने सत्र के समापन अवसर पर स्टार्टअप के लिए नई पॉलिसी लाने पर सरकार को बधाई दी और कहा कि यह नई पॉलिसी बढ़ते उद्यमियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। सीआईआई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि हिमाचली युवाओं में उद्यमिता की भावना को और बढ़ाया जा सके।

पंजाब जीत पर वीरभद्र की कैप्टन को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री

वीरभद्र सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में शानदार जीत पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा व शिरोमणी अकाली दल गठबन्धन पिछले 10 वर्षों लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प हो गए थे।

मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को उनके 75वें जन्म दिवस पर भी बधाई देते हुए कहा पंजाब के लोगों ने जिस प्रकार दिल खोलकर उन्हें अपना समर्थन दिया है, आज के दिन उनके लिए इससे बेहतर कोई और तोहफा नहीं हो सकता था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पंजाब में विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प हो गए थे।

यूपी,उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में बनेगी भाजपा सरकार: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली/शैल। सांसद

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में चार राज्यों में शानदार विजय प्राप्त की है और यह भाजपा का यह अश्वमेध जो 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ था वो अब हिमाचल प्रदेश की ओर अग्रसर होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भाजपा की जीत के काफी मायने हैं क्योंकि यहाँ भाजपा ने तीन चौथाई बहुमत से सरकार बनायी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड की तरह अब हिमाचल प्रदेश

में भी भाजपा 60 से ज्यादा सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाएगी और हिमाचल प्रदेश को बाकी देश की तरह कांग्रेस मुक्त करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी शुरुआत आनेवाले भोरज उपचुनावों में देखने को मिलेगी, जिसे भाजपा फिर एक बार अपने खाते में करेगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले ढाई साल में जनता की भलाई के लिए दिन रात एक कर जो अलग अलग योजनाएँ चलाई हैं, उसका यह नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर भाजपा को भारी बहुमत से जितायेंगे।

भोरज का उप-चुनाव 9 अप्रैल को

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन

आयोग ने राज्य की भोरज (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र के लिए उप-चुनाव करवाने का निर्णय लिया है और मतदान 9 अप्रैल, 2017 को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र चौहान ने कहा कि उप-चुनाव की अधिसूचना 14 मार्च, 2017 को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2017 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की छंटनी 22 मार्च, 2017 को की जाएगी और उम्मीदवार 24 मार्च, 2017 को अपने नाम वापिस ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गणना 13 अप्रैल, 2017 को की जाएगी। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न होगी। चौहान ने कहा कि इस उप-चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता

सूचीय एक जनवरी, 2017 को अहर्ता तिथि के आधार पर 10 जनवरी, 2017 को प्रकाशित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विभाग की वेबसाइट www.csehimachal.nic.in के लिंक मतदाता सूची (पीडीएफ फाईल) पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि भोरज विधानसभा क्षेत्र में कुल 75,719 मतदाता हैं, जिनमें 37,514 पुरुष तथा 38,205 महिला मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 441 पुरुष तथा 295 महिला मतदाता हैं।

चौहान ने कहा कि आम लोगों के लिए दूरभाष नम्बर 01772621551 व सीडिया के लिए 01772622721 दूरभाष नम्बर के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, टॉल फ्री नम्बर 1950 भी स्थापित किया गया है।

पांचवें वित्तायोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बजट को सराहा

शिमला/शैल। पांचवें वित्त

आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष -2017-18 के बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों, बागवानों, मजदूरों, नौजवानों तथा महिलाओं के कल्याण व उत्थान का बजट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तथा महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए नई पॉलिसी लाने पर सरकार को बधाई दी और कहा कि यह नई पॉलिसी बढ़ते उद्यमियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। सीआईआई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि हिमाचली युवाओं में उद्यमिता की भावना को और बढ़ाया जा सके।

लिए अध्यक्ष ने उनका का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इससे चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ेगा और उनके विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कृषकों व बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए 'मुख्यमंत्री किचि प्रोत्साहन योजना' लागू करने की घोषणा का स्वागत किया तथा कहा कि प्रस्तावित योजना के लिए 4 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। कुलदीप कुमार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जमा दो तथा उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी तथा विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की वित्तायोग की सिफारिश को मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृत के

शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है..... चाणक्य

सम्पादकीय

बेरोजगारी भत्ता विकल्प नहीं है



मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2017-18 का बजट सदन में रखते हुए प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है जिनकी शैक्षणिक योग्यता जमा दो या इससे अधिक होगी। बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में था इस वायदे को लेकर कांग्रेस सरकार और संगठन में किस तरह की बहस होती रही है यह जगजाहिर है। इस वायदे को पूरा करने के लिये जी एस बाली और विप्लव ठाकुर जैसे नेताओं ने वीरभद्र पर जो दबाव बनाया था वीरभद्र सिंह उस दबाव के आगे झुकने नहीं थे। यहां तक की जब 8 मार्च को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जबाब दिया तब भी कहा कि जब सरकार के पास संसाधन होंगे तब बेरोजगारी भत्ते के देने पर विचार करेंगे। स्पष्ट है कि राज्यपाल अभिभाषण पर हुई बहस का जबाब देते वक्त तक वीरभद्र यह भत्ता दिये जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बजट भाषण पढ़ते समय इसकी घोषणा कर दी गयी। इस परिपेक्ष में यह सवाल उठता है कि दो दिन के भीतर राज्य सरकार के संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसका प्रमाण 2017-18 के बजट में दर्ज चार हजार करोड़ अधिक के घाटे की स्वीकारोक्ति है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस घोषणा के शुद्ध राजनीतिक कारण हैं। पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिये हुए चुनावों के इगिजपोल जब आने शुरू हुए तो उन नतीजों में कांग्रेस के लिये कहीं से भी कोई सुख संकेत नहीं मिला। हिमाचल में भी इसी वर्ष के अन्त में विधानसभा चुनाव होने है और इस नाते यह इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। इसलिये ऐसी घोषणा इसी समय पर की जा सकती थी जो कि हो गयी। यह योजना कैसे लागू की जायेगी इसके लिये नियम आने वाले दिनों में बनेंगे। इस घोषणा से यह तय है कि बेरोजगारी भत्ते का बोझ अब आने वाली सरकारों को उठाना ही पड़ेगा सरकार चाहे जिसकी भी बने।

राजनेता और राजनीतिक दल अपने सत्ता स्वार्थों के आगे कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये कोई भी फौसला जनता पर थोप देंगे भले ही उसे पूरा करने के लिये संसाधन कर्ज लेकर ही जुटाने पड़े। आज हिमाचल प्रदेश में संसाधनों के नाम पर 31 मार्च 2016 को राज्य का कर्जभार करीब 39000 करोड़ दिखाया गया है। इसमें वर्ष 2016-17 का कर्ज करीब 4000 करोड़ 45000 हजार करोड़ से ऊपर हो जायेगा। इस इतने भारी भ्रमक कर्ज से सरकार ने क्या संपति खरीदी है? प्रदेश में कौन सा उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थापित हुआ है। जिससे सरकार को निगमित आय हो रही है? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। कर्ज का ब्याज अदा करने के लिये कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है रोजगार कार्यालयों में दर्ज संख्या के अनुसार यह आंकड़ा 8,24,478 है। इसके मुताबिक इनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिये 800 करोड़ से अधिक का बोझ सरकार पर पड़ेगा। लेकिन यह बेरोजगारी भत्ता देने से समस्या हल हो जायेगी? क्या इनके लिये रोजगार के अवसर नहीं पैदा करने पड़ेगे? इस समय सरकार ही प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा स्त्रोत है हर व्यक्ति रोजगार देखता है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों की कुल संख्या कारपोरेट सेक्टर को मिलाकर तीन लाख के करीब है। प्रदेश के निजि क्षेत्र में भी करीब 2.50 लाख कर्मचारी हैं। ऐसे में सरकारी और निजि क्षेत्र में एक ही दिन में पुराने कर्मचारियों को निकालकर नये कर्मचारी भर्ती कर दिये जाये तो भी रोजगार कार्यालयों में दर्ज करीब आधा आंकड़ा बेरोजगारों का शेष रह जाता है इसका अर्थ है कि इस दिशा में जो भी नीति और नियम रहे हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से बदलने की आवश्यकता है।

आज प्रदेश में जितने भी प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं उनमें प्रशिक्षित युवाओं का अगर यह आंकलन किया जाये कि उनमें से कितनों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है तो यह आंकड़ा भी 20% से नीचे ही रहता है। आज कौशल विकास के नाम पर भी जो योजना अमल में है उसमें भी कालान्तर में रोजगार मिल पायेगा इसको लेकर गंभीर शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि सरकार की स्टैटअप योजना से आकर्षित होकर जितने लोग इसमें आये थे उसको लेकर जो सर्वे हुए हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े आये हैं उनमें सफलता का प्रतिशत दस से कम है। स्टैटअप छोड़कर यह लोग वापिस नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आईटी का जो सैक्टर तेजी से उभरा था उसमें सबसे ज्यादा छंटनी की तलवार चल पड़ी है। बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति की आशंका उभर गयी है। इसलिये आज इस राष्ट्रीय परिदृश्य को समाने रखकर बेरोजगारी की समस्या का हल खोजना होगा। इस संदर्भ में कृषि से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। जिसमें रोजगार के अवसर अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक हैं। लेकिन इस क्षेत्र की ओर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर उसके उत्पादों को मुख्य निर्यात आर्थिक उत्पादों के समकक्ष लाना होगा। मुख्य निर्यात में अप्रसन्निकता के कारण आज कृषि को अन्तिम विकल्प के रूप में लिया जाता है जबकि रोजगार के चयन में कृषि को पहली पसंद बनाये जाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में आधार पंजीकरण शत-प्रतिशत

डॉ. जी एम महाजन
हिमाचल प्रदेश आधार पंजीकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में विकास के मामले में म डल राज्य बनकर उभरे इस उत्तर भारतीय राज्य ने वर्ष 2015 में एकत्रित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लगभग 72,52,880 नागरिकों को आधार कार्ड प्रदान करके 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे पहले मात्र दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब तथा चण्डीगढ़ ही इस मील के पत्थर को हासिल कर पाए हैं।

आइए, पहले हम यह देखते हैं कि आधार है क्या और लोगों के लिए यह क्यों जरूरी है
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और उसके पते का प्रमाण है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं।

कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो और चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। याद रहे, आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है।

आधार कार्ड के लाभ
✓ आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है।

✓ आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी।

✓ यह किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है।

✓ यह एक क्रम-रहित (रेडम) उत्पन्न संख्या है, जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।

✓ आधार प्रत्येक भारतीय की 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है

✓ यह बायोमेट्रिक के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सिद्ध करता है।

✓ यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका प्रत्येक निवासी फायदा उठा सकता है।

✓ प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विशिष्ट पहचान आधार नम्बर दिया जाएगा।

आधार कार्ड की आवश्यकता और उपयोग

आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें आपको पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशन कार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और होती रहती हैं।

आधार नंबर कहां-कहां अनिवार्य है

1. पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
2. जनधन खाता खोलने के लिये
3. एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिये
4. ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए

5. परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी, जेईई के लिये)
6. बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये
7. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए आधार जरूरी
8. बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रॉविडेंट फंड
9. डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी
10. सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है।
11. छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी।
12. सिमा कार्ड खरीदने के लिये भी आधार जरूरी है।
13. आयकर रिटर्न:आयकर विभाग ने



करदाताओं को आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न की ई-जांच करने की सुविधा दी है।

जहां तक हिमाचल प्रदेश में आधार पंजीकरण का प्रश्न है तो राज्य में विद्यमान जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के लिए राज्य के जिला उपमण्डल तथा विकास खण्डों में 240 स्थाई पंजीकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य का अधिकांश हिस्सा ऊँचे पर्वतीय स्थलों से ढका है जिनकी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दुर्गम, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों की जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत लाने के लिए सरकारी मशीनरी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति तथा किन्नोर क्षेत्र साल के अधिकांश समय में बर्फ से ढके रहते हैं जहां एक ओर आवश्यकता के साधन अत्यंत कठिन होते हैं, दूसरी ओर बर्फीले क्षेत्रों में लोगों से सम्पर्क साधना तथा उनके सरकारी योजनाओं से जोड़ना देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी कठिन माना जाता है। राज्य सरकार ने सुदूर पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि तथा असहाय लोगों को आधार पंजीकरण के अंतर्गत लाने के लिए 22 आधार मोबाइल वैनों को उतारा है जोकि लोगों को उनके घर-दरवाजे पर जाकर आधार पंजीकरण के अंतर्गत लाते हैं।

राज्य में 5 साल आयु तक के बच्चों को आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 780 कम्प्यूटर टेबलेट प्रदान किए गए हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने शिशुओं को पौषाहार प्रदान करने के लिए इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भेजती हैं तथा इन शिशुओं के दाखिले में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में इन शिशुओं की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है जिसे आधार पंजीकरण में प्रयोग किया जाता है। गांव के केन्द्रीय स्थल में स्थापित इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति से अधिकारियों को उन बच्चों को आधार पंजीकरण में सहायता मिलती है।

सरकार ने सुरक्षित मानुष कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए 20 टेबलेट प्रदान किए हैं, जोकि नवजात शिशु को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करते हैं।

राज्य में शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में आधार

पंजीकरण शिविर आयोजित किए तथा छात्रों एवं अध्यापकों को आधार पंजीकरण से लिंक किया गया। राज्य के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति राशि आधार पंजीकरण से लिंक करके अब सीधे छात्रों के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।

राज्य में शत-प्रतिशत जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के बाद सरकार ने पायलट परियोजना के अन्तर्गत शिमला, हमीरपुर तथा कुल्लू जिलों में जन्मे नवजात बच्चों को अस्पताल में ही आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करके स्वास्थ्य संस्थान से डिस्चार्ज से पहले ही आधार नम्बर मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार ने नवजात बच्चों को आधार पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद टेबलेट तथा बायोमेट्रिक मशीनों प्रदान की है तथा सरकार ने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके अन्तर्गत नवजात शिशु को माता-पिता का आधार कार्ड की

बायोमेट्रिक मशीनों से पुष्टि कर के इसे बच्चे के जन्म से जोड़ दिया जाएगा। यह आधार कार्ड 5 साल तक वैध रहेगा जिसके बाद इसे नए सिरे से अपडेट करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, 0-5 वर्ष के बच्चों को कवर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। प्रदेश में राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं के नाम व पते के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी दर्ज होगा। सभी सरकारी राशन दुकानों से सब्सिडी पर राशन लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी लोगों को 30 जून तक अपना पंजीकरण पूरा करने का समय दिया है।

राज्य में पहले चरण में वर्ष 2012 तक लगभग 36.52 लाख लोगों को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर किया गया। राज्य में आधार पंजीकरण की शुरुआत हिमाचल दिवस पर 25 जनवरी, 2011 को राज्य सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बीच हुए अनुबन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुरू की गई थी। इस पंजीकरण के लिए वर्ष 2011 में राज्य को चार खण्डों में बांटा गया ताकि प्रत्येक खण्ड में बराबर जनसंख्या रखी जा सके। पहले खण्ड में कांगड़ा तथा चम्बा दूसरे खण्ड में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, तीरेश खण्ड में मण्डी, कुल्लू, लाहौल स्पीति तथा चौथे खण्ड में शिमला, सोलन, सिरमौर तथा किन्नोर रखे गए। प्रत्येक खण्ड के लिए एक इन्फोर्मेट एजेन्सी बनाई गई तथा प्रत्येक पंचायत स्तर पर इन्फोर्मेट सेंटर स्थापित किए गए। प्रत्येक इन्फोर्मेट सेंटर पर दो लेपटॉप, फिंगर प्रिंट, स्कैनर, इरिश स्कैनर तथा आधुनिक कैमरा प्रदान किए गए। राज्य में अक्टूबर 2013 तक 75 प्रतिशत जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करके देश के आठ अग्रणी राज्यों में अपनी प्रतिस्थिति दर्ज करवा ली थी। शत प्रतिशत आधार पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले बाकी सभी मैदानी राज्य हैं, जिनके मुकाबले हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन है तथा बर्फवारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वर्किंग सीजन भी काफी कम है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि आधार जीवन भर की पहचान है और हिमाचल प्रदेश सरकार का यह दूरगामी कदम राज्य के आम लोगों को जीवन में एक नई सुबह का संचार कर रहा है।

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अरुणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

गंतांक से आगे.....

नाबम तुकी - विधायक से मंत्री और मुख्यमंत्री का फासला तुकी ने बहुत ही कम समय में तय कर लिया था। विधायक बनने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और आज आधे ईटानगर - नहरलागुन में जमीनें और संपत्ति खरीद ली। वहीं कोलकाता, दिल्ली और बैंगलोर में आलीशान बंगले, फार्म हाऊस व जमीनें हैं। जिसके बारे में Social Media (Facebook/whatsapp) में संपत्ति के बारे में फोटो और विडियो के साथ दिया गया था। इनका काला चिट्ठा कुछ इस तरह है।

गुहाटी हाईकोर्ट ने तुकी के खिलाफ की गयी सुनवाई ने तुकी को दोषी ठहराते हुए सी बी आई की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन उसी केस में सुप्रीम कोर्ट के Justice H.L. Dattu को 28 करोड़ रुपये घूस देकर stay लिया और आज भी खुले आम घूस रहे हैं।

अरुणाचल राज्य में हुए PD Scam पर सुप्रीम कोर्ट ने Justice Kabir Altamaas का नेतृत्व में फैसला कांटेक्टों के हित में दिया था। जबकि केन्द्र सरकार और FCI ने भी इस फैसले को गलत ठहराया था।

Food&Civil supply के Director (N.N.OSIK) के बैंक खाते से तुकी के खाते में 30 लाख रुपये ट्रांसफर किये गये। इस बात को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी माना है। जिसका record हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पास भी है। इस केस में भी घूस देकर कोर्ट का फैसला खरीद गया था।

Food&civil supply के मंत्री रहते समय नाबम तुकी ने ही PDS घोटाले की शुरुआत की थी। सड़क रास्ता होने पर भी Head Load का झूठा अविष्कार किया। 20 km को 46 km का रास्ता बनाया और 40 km को 90 km का रास्ता बताकर पैसों का गबन किया था। जहां जहां सड़कें नहीं थी वहां चावल का Quota बढ़ाया जाकर पर लोन दिखाकर Quota बढ़ाया गया और भारी मात्रा में पैसों का गबन किया। जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं वहां झूठा बिल बनाकर घोटाला किया गया। Kurung Kumay Subansiri के चावल के Quota को FCI Base Depot से निकालकर लखीमपुर (असम) में बेचा गया था। Tawang, East-Kameng & West Kameng के चावल के Quota को तेजपुर असम में बेचा गया था। East-West-Upper Siang के चावल के Quota को धेमाजी (असम) में बेचा गया था। एक ही बिल से बार-बार झूठा बिल बनाकर 6-7 बार पैसे निकाले गये। राज्य में जिस समय 61 लाख रुपये में सालभर का PDS चावल supply होती थी। वही तुकी के मंत्री रहते हुए यह रकम 168 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच गयी थी। पुराने कामों और फोटो दिखाकर तुकी ने 70% Relief fund का घोटाला किया था। उन पैसों का तुकी ने दुरुपयोग किया व जनता और केन्द्र सरकार को गुमराह किया। जिसकी PIL अरुणाचल हाईकोर्ट में चल रही है। राज्य में ऐसे घोटाले कर वह अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं।

जिससे न्यायालय में न्याय को खरीदते हैं। कायेस आला कमान को खरीदते हैं और मीडिया को भी खरीदते हैं जिससे जनता चुप-चाप देखती है।

राज्य में NP(NonPlan fund) को ऑबटिंट कर 60% पैसे वापस लेकर दुरुपयोग किया गया। जिसकी वजह से राज्य में केन्द्र की बहुत सी योजनाएं आज भी बंद पड़ी हैं। जिसके कारण राज्य में वर्ष 2013, 2014 और 2015 तक लगातार Overdraft की समस्या होती रही। जिनके चलते सरकारी अधिकारियों की तनखाह, Salary/ Wages TA/DA/MR Bills GPF/NPS student stipend&contractors payment समय पर नहीं मिल पाती थी। इस पर भी सरकारी अधिकारी, छात्र contractor और जनता इन्हें सहती गयी। कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और न ही इसका विरोध करने की हिम्मत दिखाई। जिससे भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद होते गये और वह राज्य में जगजाह भ्रष्टाचार करते गये। TFC के बारे में पैसों का दुरुपयोग हुआ। SPA के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। जिसका काम आज भी बंद पड़ा है।

SCA fund का भी दुरुपयोग हुआ है।

राज्य के पास फण्ड नहीं है। फिर भी भोली जनता को गुमराह करने के लिए कहा गया की Civil Deposit में फण्ड है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले छानबीन कर पता लगाया लेकिन वहां कोई पैसा नहीं था।

दोरजी खांडू जहां Relief fund और Non-Plan fund में 60% दलीली लेकर राज्य के fund को लुटा है।

यही सब कारण है कि पिछले 3 सालों से राज्य में overdraft की समस्या चल रही थी और राज्य बजट भी घाटे चल रहा था।

Nabam Tuki ने अपनी पत्नी Nabam Nyami के नाम पर राज्य के सभी शहरों (Ziro Pasighat Tezu Ltanagar, Hawai) और सभी जिलों में सरकारी ठेकेदारी के काम किये वही उनके भाई और परिवारजन Nabam Tagam, Nabam Aka, Nabam Hari और Nabam Mary ने बहुत सी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अलग-अलग कामकर राज्य के खजाने को लुटा था।

राज्य में इन सभी घाटे और घोटालों के जिम्मेदार तुकी ही हैं। जिन्होंने राज्य को कुंए में धकेल दिया और भोली जनता को बेवकूफ बनाया है।

Social Media (facebook, whatsapp) पर लोग पूछ रहे हैं कि यह पैसे कहां से आये? लेकिन इनसे सच पूछा गया तो यह आप से नजर मिलाकर बात भी नहीं कर सकते।

नाबम तुकी की इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने और राज्य विधायकों ने एक सुर में उनका विरोध किया। उनकी सरकार अल्पमत में होने पर भी उन्होंने अपने स्वीकर भाई Nabam Rebha के साथ मिलकर व उनकी मदद से 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया और अपनी सरकार चलाते रहे। Speaker Impeachment का मामला होने पर

भी Nabam Rebha अपने पद पर बने रहे। जबकि 14 दिनों के अंदर ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। वही Vote of no confidence होने पर भी नाबम तुकी सी एम पद पर बने रहे। जबकि राज्यपाल ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा था। 13 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट से दिए गये फैसले के बाद भी अपनी सरकार चलाते रहे और राज्य को लुटते रहे। ऐसे में Nabam Tuki को तुकी सरकार से वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को financial crisis की सौगात दे दी।

एक राज्य में राज्यपाल ही सबसे बड़े होते हैं। राज्यपाल की ही इजाजत से मुख्यमंत्री व मंत्री तय होते हैं। Transfer, Posting और Appointment भी राज्यपाल के दिशा-निर्देश में किये जाते हैं। जबकि इन्होंने हमेशा कानून-न्याय और जनता का मजाक उड़या है।

मैंने अपने 23 सालों के राजनीतिक जीवन में 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया लेकिन नाबम तुकी जैसा भ्रष्ट और खराब तंत्र (system) कहीं नहीं देखा। इनकी सरकार ने राज्य में बंद हड़ताले और दंगे करवाए। जनता को जाति धर्म व क्षेत्र के नाम पर बांटा और उनमें लड़ाईयां करवाई।

इन्होंने सरकार, कानून, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय और जनता के साथ खिलवाड़ किया है और हमेशा इनका अपमान किया है। इन्होंने हमेशा जाति, धर्म, समाज, मजहब भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति की है।

जिस इंसान ने जनता की सेवा की जगह अपना घर भरा है। आज जनता को उससे जबाब मांगना चाहिए कि जो भी जमीन जायदाद, धन-संपत्ति बनाई है। वह कहां से आई? क्या कहीं पैसा छापने की मशीन मिली थी या पैसों की factory मिली थी इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और जनता को अपना हक मिलना चाहिए। चोवना मेन - राज्य के बड़े मंत्रीयों में से यह सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। जिस भी विभाग में यह गये वहां बदनामी के छींटे अपने दामन पर झेले हैं। मैं इनका असली चेहरा जनता के सामने रखता हूँ। RD मंत्रालय में कभी कोई लेनदेन नहीं किया गया था। पर इन्होंने एक PD (Project Director) पर 10 लाख रुपये लेकर इसकी शुरुआत की थी। APO पर 5 लाख रुपये की घूस लेते थे। BDO पर 3 लाख रुपये की घूस लेते थे। RWD और PMGSY योजनाओं पर भी ठेकेदारों से percentage तय कर घूस लेते थे।

Transfer और Promotion के लिये भी घूस लेते थे। A.EE-15 लाख रुपये B. AE 5 लाख रुपये C.JE 3 लाख रुपये

शिक्षा मंत्री बनने पर चोवना ने 3 से 4 लाख रुपये लेकर लोगों को बिना इंटरव्यू के टीचर पद की नौकरी दी थी। PHE और PWD में भी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 10-15 लाख रुपये पर बहुत सा पैसा कमाया था।

Loc में Chouna Mein ने पैसों की मांग की थी। जिसके कारण बहुत से अधिकारियों ने इस्तीफा देने में जाने से मनही कर दी थी और नाराज भी हो गये थे। PHE मंत्री रहते समय Jarbam



Gamlin सरकार में Relief fund के तहत 46 करोड़ रुपये की दलाली कर 15 ही दिनों में अल्पा और अंडरग्राउंड ताकतों की मदद से गम्लिन सरकार को गिरा दिया था।

PHE मंत्री रहते समय केन्द्र सरकार ने Watersm supply के लिए 67 करोड़ रुपये आये थे जिसे बिना काम किये पैसों का दुरुपयोग किया गया। जिसका record RTI से लिया गया है और यह आज भी RTI कार्यकर्ता के पास मौजूद है। फिर तुकी सरकार ने वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को financial crisis की सौगात दे दी।

Development Plan Fund को Non Plan में डाल कर fund का दुरुपयोग किया गया। जिसकी बदौलत उनके कार्यकाल में राज्य में overdraft की समस्या थी।

इन्होंने राज्य में हमेशा से ही ऐसे विभागों को चुना जिनमें ज्यादा Transaction होता हो। ज्यादातर यह planning finance & PWD में रहने की मांग ही करते रहे। ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। क्या ऐसे नेताओं के हाथ में राज्य सुरक्षित है?

आज हर कहीं जमीनें संपत्ति, चाय बगान, संतरा बगान और रबड़ बगान खरीदकर Namsai जिले की आधी संपत्ति को इन्होंने अपने नाम पर कर रखा है।

आज दिल्ली, कलकता, बैंगलोर और गुवाहाटी में आलिशान बंगले commercial ststes और संपत्ति बनाई।

जनता जबाब मागे की राज्य और जनता को क्यों गुमराह किया गया? विधायक मंत्री बना पैसों की factory चलाना तो नहीं है। फिर इतना पैसा कहां से आया? क्या यही है कायेस के असली नेता? जनता को क्यों धोखे में रखा गया और जनता की जिन्दगीयों से क्यों खेला गया?

Karilkho Kri - यह महाशय कभी तेजु से विधायक थे। बनने से पहले इनके पास अपना घर भी नहीं था। अपने बड़े भाई जो की PHE में Engineer थे। यह उनके साथ ही रहते थे। अपने पहले विधानसभा चुनाव में एक पुराने स्कूटर से campaign शुरू किया था और विधायक बनने के 3-4 सालों में ही हर कहीं जमीन और संपत्ति खरीद कर आधे तेजु के मालिक हो गये। अब उनके पास आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां और नवाबों के ठाट-बाट हैं। आज ईटानगर, दिल्ली, कोलकता, बैंगलोर में आलीशान बंगले और संपत्ति है। आज उनसे कोई नहीं पूछता कि वह पैसा कैसे और कहां से आया? लोग उनके कोठे पीछे-पीछे भागते हैं। राज्य में विधायक बनाना किसी लौटरी लगने जैसा है। जहां हर कोई रातों-रात करोड़पति बन जाता है। राज्य में ऐसे और भी बहुत से विधायक हैं जो विधायक बनने पर राज्य को लुटते हैं। जैसे की जब इस बार सुप्रीम कोर्ट का Order आया तब मुझसे कई विधायकों ने 15 करोड़ रुपये नगद मांगे थे। उनका कहना था कि अगर अपनी सरकार बचानी है तो हमें इतने पैसे दे। लेकिन मैं यहां सा बचाने या बांटने के लिये नहीं आया। बल्कि जनता के सरकारी खजाने को बचाने व रक्षा करने आया था। सही समय और सही ढंग से जरूरतें योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता की सेवा और

उनके हित में विकास करने के लिये आया था। जब भी कभी राज्य में Political Crisis होती है। तो यह विधायक दोनों तरफ से 10-15 करोड़ रुपये लुटते हैं। ऐसा कर यह अपने आपको नीलाम करते हैं, बेचते हैं राज्य में ऐसा कब तक चलता रहेगा? जनता को विधायकों से सवाल करना चाहिए उनके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए। आज के सभी विधायक भ्रष्ट हैं इन्हें विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है। जनता को इनसे त्याग पत्र मांगना चाहिए। ताकि वह एक नयी और बेहतर सरकार चुन सकें। जिससे राज्य का हित हो सके। (खास कर मुझे दुख है मेरे अच्छे दोस्त PD Soraj का काम पूरा नहीं कर पाया उनकी मांग या 10 करोड़ नगद पर मैं 4 करोड़ ही दे पाया।)

राज्य में सही सोच-विचार के साथ मजबूत इच्छा शक्ति, स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्पष्ट निति, केन्द्रित योजनाओं के साथअगर हम सिर्फ विकास के मकसद से और गरीब जनता को सेवा भाव से काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

मैंने अपने साढ़े चार महीनों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो करके दिखाया वह एक उदाहरण है कि हम कैसे एक राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे विकास दे सकते हैं। लेकिन मेरे विधायक साथियों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और यह किसी को भी करने नहीं देंगे।

स्वर्गीय अपने 25-30 साल के राजनैतिक जीवन मे मैंने विधायकों को ऐसा ही करते देखा है। राज्य ऐसे भ्रष्ट व बदनाम विधायकों और नेताओं के साथ काम कर पाना मुश्किल है। यह लोग कभी नहीं बदल सकते हैं और न ही कभी सुधार सकते हैं। इन लोगों को समझने, सबक सिखाने और एहसास दिलाने की बेहद जरूरत है। अब इन लोगों को जनता की शक्ति दिखाने का वकत आ गया है। ताकि वह फिर कभी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकें।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर राज्य में 4 महीनों में 3-4 बार सरकार बदलेगी तो राज्य को बहुत सा नुकसान होगा है। जिसका आपको अंजाना भी नहीं होगा। वही जनता बिना समझे हर बार नये मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जय-जयकार करती है। जबकि मैं समझता हूँ कि यह उनके साथ धोखा है। इसलिये मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सदेश और बलिदान को गंभीरता से ले अपने नेताओं से हिसाब-किताब मांगें उनका कड़ा विरोध करें। गांव, कस्बों, शहर और जिलों में इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भारी मात्रा में जन आंदोलन हो और राज्यपाल व केन्द्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करें और राज्य में पहले जैसी केन्द्र शासित सरकार हो। ताकि राज्य में विकास हो और सभी जनता को बराबर अपना हक मिल सकें और राज्य में अमन, सुख और शांति बहार हो सकें।

- क्रमशः -

Karilkho Kri

प्रदेश के जीडीपी में घटा कृषि क्षेत्र का योगदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को लेकर 2016-2017 के लिए सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत जबकि प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 227 रुपए आंकी गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अर्थ एवम सांख्यिकी विभाग की ओर से तैयार इस सर्वे की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-

चालू वित्तीय वर्ष, 2016-17 में राज्य की अर्थ-व्यवस्था में 6.8 प्रतिशत विकास दर का अनुमान है वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,277 आंकी गई है।

वर्ष 2015-16 में, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,04,177 करोड़ वर्ष 2014-15 से बढ़कर 1,13,667 करोड़ हो गया तथा अगामी अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,24,570 करोड़ होने की सम्भावना है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहेगी।

प्रदेश में, 30.09.2016 तक 2,061 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। यह पिछले वर्ष से 106 बैंक-शाखाएं अधिक हैं।

प्रदेश में जमा उधार अनुपात 55.64 है।

राष्ट्रीय प्रति शाखा जनसंख्या औसत 11,000 की तुलना में राज्य की 3,330 है।

दिसम्बर, 2016 तक 4,634.01 करोड़ का राजस्व जुटाया गया।

दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2016 के दौरान अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रा स्फीति की दर 3.4 प्रतिशत दर्शाई गई है।

दिसम्बर, 2016 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि रही।

प्रदेश में 18,26,390 राशन कार्ड धारकों को 4,891 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

राज्य में 146 गैस कंपनियां, 362 पेट्रोल पम्प तथा 28 थोक मिट्टी के तेल विक्रेता कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग लगभग 10 प्रतिशत है।

सितम्बर, 2016 तक 7.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।

वर्ष 2014-15 में खाद्यान्नों का उत्पादन 16.08 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में 16.34 लाख मीट्रिक टन हुआ, जिससे 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में 16.00 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

वर्ष 2016-17 दिसम्बर, 2016 तक में फल उत्पादन 5.10 लाख टन हुआ जो वर्ष 2015-16 में 9.29 लाख टन आंका गया। कुल फल उत्पादन में से सेब का भाग लगभग 84 प्रतिशत है। वर्ष, 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक, 4.56 लाख टन सेब का उत्पादन हुआ जब कि वर्ष 2015-16 में सेब का उत्पादन 7.77 लाख टन था।

मौसम अनुमानित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सेब के 36 खण्डों, आम के 41 खण्डों, किन्तु के 15

खण्डों तथा पलम के 13 खण्डों को कवर किया गया है।

वर्ष 2015-16 में, एक राज्य स्तरीय चिकित्सालय 368 पशु चिकित्सालय, 1,773 पशु औषधालय 30 केन्द्रीय पशु



औषधालय, 9 पोलिक्लिनिक तथा 6 पशु चिकित्सा चौकियां हैं जो राज्य में पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं।

भेड़ पालक समृद्धि योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 2 बच्चों को 1,200 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

10.4.2016 से दूध के खरीद मूल्य में 1.00 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है जिस से 42,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर में 50 प्रतिशत का पशु अनुदान दिया गया। राज्य के लगभग 6,098 मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन से अपनी आजीविका चलाते हैं।

मार्च, 2016 तक 33,471 हैंडपम्प लगाए गए।

प्रदेश में, इस समय 576 मध्यम व बड़े उद्योग तथा लगभग 43,420 लघु पैमाने की इकायां कार्यरत हैं।

अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 180 प्रतिदिन से बढ़ा कर 200 प्रतिदिन कर दी गई है।

राज्य के रोजगार पंजीकृत कार्यालयों में 31.12.2016 तक 8,24,478 बेरोजगार पंजीकृत किए गए।

प्रदेश में 27,436 मैगावाट अनुमानित विद्युत क्षमता का 10,351 मैगावाट का विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिसम्बर 2016 तक दोहन कर लिया गया है जो कि कुल क्षमता का 37.73 प्रतिशत है।

हिमाचल प्रदेश में 31.12.2016 तक 36,256 किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है तथा 10,190 गांव सड़कों से जोड़े गए। वर्ष 2016-17 में सड़कों के लिए 912.73 करोड़ का प्रावधान है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 3,012 बसें, 2,530 मार्गों पर प्रतिदिन 5.54 लाख कि.मी. की दूरी तय कर रही है।

प्रदेश में 63 हैलीपैड परिचालन में हैं।

वर्ष 2016 में प्रदेश में 184.51 लाख पर्यटकों ने आगमन किया। जो कि राज्य की जनसंख्या का 2.7 गुणा है।

वर्ष के दौरान, प्रदेश में 10,735 प्राथमिक पाठशालाएं, 2,103 माध्यमिक पाठशालाएं, 929 उच्च पाठशालाएं, 1,719 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 115 महाविद्यालय कार्यरत हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. के परिवारों के विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

उपलब्ध करवा रही है।

प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक तथा पेशेवर पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। पुरुष एवं महिला की सारक्षता दर की कमी को पूरा करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में कन्या छात्रावासों का निर्माण किया गया है।

10वीं तथा 12वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को नेटबुकस प्रदान किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा में डिग्री स्तर में 4,830, बी फार्मसी में, 858 डिप्लोमा स्तर में, 10,778 तथा आई.टी.आई./आई.टी.सी.में 45,150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है।

प्रदेश में वर्ष के दौरान, 75 चिकित्सालयों, 87 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 13 ई.एस.आई. तथा 2,078 उपकेन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा अन्य निजी संस्थाएं भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदेश में 2 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, 30 चिकित्सालयों, तथा 1,150 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय द्वारा आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 95 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की गईं।

बी.पी.एल. तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 'मुस्कान योजना' तथा मुख्य मन्त्री छात्र दन्त योजना शुरू की गईं।

सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से ऊपर परन्तु 80 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है को 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है तथा 80 वर्ष से ऊपर के व्यष्टियों को 1,200 प्रतिमाह की दर से पेंशन बिना किसी आय मापदण्ड के दी जा रही है।

मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को 40,000 विवाह अनुदान दिया जा रहा है तथा 1,314 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत 11,359 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 3,280 महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता उपलब्ध करवाई गई।

लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ आवंटित किए गए।

स्वच्छ भारत मिशन योजना को प्रदेश 12 जिलों में परियोजना विधि पर चलाया जा रहा है तथा हिमाचल स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में माना जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 160.31 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए एवं 4,31,933 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 125 स्वयं सहायता समूह बनाए गये व 208 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 846 आवास इकाईयों का निर्माण किया जायेगा।

2015 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार पर आधार योजना के अन्तर्गत 72.46 लाख से अधिक निवासियों के आधार कार्ड बनाए गए हैं।

प्रदेश में बेहतर व यथासमय सेवा के लिए सेवा अधिनियम के अन्तर्गत 20 विभागों में 119 सेवाओं को लागू किया गया।

राज्य की जनता के लिए लोक सेवा हेल्पलाइन स्थापित की गई।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों के लिए टोल फ्री टेलीफोन नम्बर की सुविधा स्थापित की गई है।

बाह्य शौच मुक्त के अन्तर्गत प्रदेश का देश का द्वितीय राज्य को घोषित किया गया है।

राज्य को शिक्षा एवं समग्र विकास में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है।

एसजेवीएन के निदेशक नंदलाल मोस्ट इम्पेक्टफुल सीएसआर लीडर व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

शिमला/शैल। एसजेवीएन को सर्वश्रेष्ठ निगमित सामाजिक दायित्व की श्रेणी में सीएसआर लीडरशिप अवार्ड से व एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक) नन्द लाल शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मोस्ट इम्पेक्टफुल सीएसआर लीडर और

एक सीध में लाने का प्रयास किया है। सीएसआर इनीशिएटिव को मोटे तौर पर छः वर्टिकल भागों यथा शिक्षा एवं कौशल विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सामुदायिक परिस्परित विकास, स्वास्थ्य रक्षा व कल्याण, स्थानीय संस्कृति को



लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

इस अवसर पर शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन ने सीएसआर के क्षेत्र में संस्थानीकरण के अलावा विविध अभिनव प्रयोग आरंभ किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि एसजेवीएन ने समाज की सामाजिक पर्यावरणीय तथा आर्थिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ही कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के शुरूआती स्वरूपों को भी

बढ़ावा और उसका संरक्षण, खेल, स्थायी विकास, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता इत्यादि में बांटा गया है। इससे एसजेवीएन को राष्ट्रीय महत्व के साथ सामंजस्य रखनेवाले, एसजेवीएन के कारपोरेट सामाजिक दायित्व के मुद्दों में, अपनी ऊर्जा शक्ति और स्रोतों को चैनलाइज करने की दिशा में सहायता मिलती है।

शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने

2012 में एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप योजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धीत्मक भावना को बढ़ाना तथा उनके शैक्षणिक गुणों को पोषित करना है। इसके अलावा हेल्पएज इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 मोबाइल हेल्थ वैन परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई है ताकि लोगों को उनके द्वार पर ही स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि इन मोबाइल हेल्थ वैनों से साढ़े तीन लाख लोग इलाज करवा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त एसजेवीएन हेल्पएज इंडिया के सहयोग से सेवा सौ से अधिक हेल्थ कैम्प का भी आयोजन कर चुका है, जिससे पैंतीस हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

एसजेवीएन द्वारा सीएसआर के क्षेत्र में किए गए अग्रणी कार्य उसके दीर्घगामी स्थायित्व को दर्शाते हैं व एसजेवीएन की क्रमिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करते हैं। सीएसआर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जा रहा है ताकि विधिपरकता, नैतिक मानकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ उसका सक्रिय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ATTENTION

SOLID WASTE GENERATORS

THE NEW RULES
namely

Solid Waste Management Rules (SWM), 2016

(notified on 8th April 2016) replace the Municipal Solid
Wastes (Management and Handling) Rules, 2000.

The Rules are now applicable **beyond Municipal areas** and extend to urban agglomerations, census towns, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbase, Port and harbour, defence establishments, special economic zones, State and Central government organizations, places of pilgrims, religious & historical importance.

Salient Features on SWM 2016



Source segregation



Collection and disposal
of solid waste



Waste processing and
treatment



Promotion of waste to
energy

- **Waste generators** would now have to segregate waste into three streams- Biodegradables, Dry (Plastic, Paper, metal, Wood, etc.) and Domestic Hazardous waste (diapers, napkins, mosquito repellants, cleaning agents etc.) before handing it over to the collector.
- **Institutional generators, market associations, event organisers and hotels and restaurants** have been directly made responsible for segregation and sorting the waste and manage in partnership with local bodies.
- **All hotels and restaurants** will also be required to segregate biodegradable waste and set up a system of collection to ensure that such food waste is utilised for composting / biomethanation.
- **The manufacturers or brand owners of sanitary napkins** are responsible for awareness for proper disposal of such waste by the generator and shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
- **The rules also stipulate zero tolerance for throwing, burning, or burying the solid waste generated on streets, open public spaces outside the generator's premises, or in the drain, or water bodies.**
- The SWM Rules, 2016 emphasise **promotion of waste to energy** plants.
- An event, or **gathering organiser of more than 100 persons** at any licensed/ unlicensed place, should ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency, as specified by local authority.
- As per the new rules, **construction of landfills on hills shall be avoided.**
- High calorific wastes shall be used for **co-processing in cement** or thermal power plants.
- **Construction and demolition waste** should be stored, separately disposed off, as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016

For detailed information visit : <http://hppcb.nic.in/>

Important: Any violation of the provision of the SWM Rules 2016 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).



H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Issued in public interest...

बेरोजगारी भत्ते पर

राज्यपाल अभिभाषण के जवाब में इन्कार और बजट भाषण में घोषणा, वीरभद्र का कमाल

शिमला/शैल। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए बेरोजगारी भत्ते पर फिर सीएम ने स्वीकारा की चुनाव घोषणा पत्र में किया गया हर वायदा पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जबकि के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने में असमर्थता जताने वाले वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में कैसे इसकी घोषणा कर दी। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री यह भत्ता देने के लिये वित्त विभाग पर लगातार दबाव बनाते हुए थे। उनकी योजना थी कि वह इस घोषणा का राजनीतिक लाभ अपने बेटे को देना चाहते थे। जो कौशल विकास नियम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिये मण्डि में एक बड़ी युवा रैली की जाने की योजना थी। लेकिन बाली और सुक्ख को इसकी भनक लग गयी और उन्होंने अलग से दबाव बना दिया और मुख्यमंत्री को बजट भाषण में इसकी घोषणा करनी पड़ गयी।

बेरोजगारी भत्ते पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने माना कि घोषणा पत्र में किया गया ये वादा उनकी कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा सदन में गधे पर दोनों पक्षों में भिड़त हो गई और वीरभद्र सिंह ने व्यंग्यवाणी से विपक्ष को घायल करने का प्रयास किया। आखिर में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते पर घिरे सीएम ने कहा कि कोई भी सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को सौ

फीसद पूरा नहीं कर पाती है।

इस मसले पर सफाई देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के वादे को भूलें नहीं हैं। जब संसाधन होंगे, अलग से धन का प्रावधान होगा तो इस वादे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी पांच साल नहीं हुए हैं। हो सकता है ये सरकार बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान करे और न भी करे। बेरोजगारी भत्ते पर मुख्यमंत्री अपनी सरकार, पार्टी और विपक्ष के निशाने पर थे।

राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव सदन में मुख्यमंत्री व विपक्षी भाजपा सदस्यों के बीच खूबगर्मी भी हुई। भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने उल्टे विपक्ष पर ही क्षेत्रवाद, जातिवाद के इल्जाम जड़ते हुए विपक्ष की मानसिकता पर ही सबाल उठा दिया। इस पर भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने मामला बिगड़ता देखा अपने शब्द वापस ले लिए। भाजपा सदस्यों पर हमला करने से मुख्यमंत्री फिर भी बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाजपा कि रजनीति ही जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद की है। भाजपा पर फिर आपत्ति जताई।

यही नहीं वो टोपी के रंग को भी सदन में ले आए और भाजपा सदस्यों पर हमला बोला कि भाजपाई तो लाल टोपी और हरे रंग की टोपी पर भी बांटने की राजनीति करती हैं, फिर सत्तापक्ष की ओर सुवातिब हो कर कहा कि वो आप हरी ही नहीं लाल रंग की टोपी भी पहना करें ताकि ये टोपी

का भेदभाव खत्म किया जा सके।

नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार करने की कोशिश की व कहा कि लाल टोपी तो आपके घर में भी लगने लगी है।

सीएम ने कहा कि आप पीली, नीली टोपी क्यों नहीं पहनते। भाजपा बोलती है ये हरी ब्रिगेड हैं और लाल ब्रिगेड हैं। कांग्रेस सरकार भेदभाव पर विश्वास नहीं करती। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धूमल ने एचआरटीसी भर्ती में हुए घोटाले का मामला उठा दिया व कहा कि अदालत ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंडक्टर भर्ती में 73 कंडक्टर नगरोटा बर्मा से व 37 रोहडू से लगे थे अब मामला अदालत में है।

इस पर परिवहन मंत्री जीएसबाली ने धूमल की ओर सुवातिब होकर तल्वी से कहा कि भाजपा सरकार ने पांच साल तक विजिलेंस जांच चलाई और अदालत में रिपोर्ट दी कि कुछ नहीं बनता। भाजपा सरकार में ही उनको क्लीन चिट मिल गई थी। भाजपा के समय में औबीसी के एक क्लीन ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर नगरोटा बर्मा का कोई रंग जाना है तो किसी को तकलीफ क्यों होती है। इस बीच सीएम ने सफाई दी कि रोहडू से पांच साल लगे होंगे।

बाली ने कहा कि ये अदालत का मामला है इसे अदालत में ही रहने दो।

इस बीच भाजपा के कर्नल इंदर सिंह कुछ बोलने लगे तो मुख्यमंत्री ने व्यंग्य किया कि 'कर्नल साहब, वहीं रहना। अच्छा हुआ हमारी पार्टी से चले गए'।

यह सबाल पड़े गये थे कि सरकार ने इस कार्यकाल में कितने लोगों को सीधे लोक सेवा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नौकरी दी है। जब सरकार लगातार भर्तियां करती आ रही है। उसे यह सूचना सदन में रखने से परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इसका जवाब यह कहकर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकार ने कितने लोगों को आऊट सोर्स के माध्यम से नौकरी दी है इस सबाल का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है ही आया है। सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु पर उसके आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है इसके तहत नौकरी मांगने वाले को सारी प्रक्रियाओं की अनुपालना करके नौकरी प्रदान की जाती है। इसके लिये वाकायदा मैडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह नौकरी छः हजार के दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी जाती है जब मृतक सरकार की स्थायी नौकरी में था तो फिर उसके आश्रित को दैनिक वेतन भोगी के आश्रित पर नौकरी क्यों? चपडसी और झूझवर्ग के साथ इस तरह की स्थिति चल रही है।

सीएम ने कहा कि उनके पास सीआईडी की रिपोर्ट है कि सीएम के जवाब के दौरान कुछ सदस्यों ने खलल डालने की रणनीति बनाई है। लेकिन मैं जवाब देता रहूंगा चाहे रात के बारह ही क्यों न बज जाए।

इस पर भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने आपत्ति जता दी व कहा कि क्या सरकार ने विपक्षी सदस्यों पर सीआईडी बिठा रखी है।

सीएम ने भारद्वाज पर फिर व्यंग्यवाण फेंका व बोला 'रोहडू का होकर बकवास करता है, शर्म का। साथ ही जोड़ ये 'मेरे व भारद्वाज के बीच का मामला है, हमारा पुश्तैनी संबंध है'। वीरभद्र बोलते गए 'पंडित बैठ जाओ'।

भारद्वाज ने माइक ऑन न होने को लेकर स्पीकर से शिकायत की तो वीरभद्र सिंह यहां भी बोल पड़े 'स्पीकर साहब, आपकी ओर ही देखते रहते हैं, हमारी ओर देखते भी नहीं हैं'।

इस बीच गधे का जिक्र दोबारा आ गया और भाजपा विधायक सर्ववीण चौधरी और सीएम के बीच नोकझोंक चलती रही। सीएम ने कहा कि सर्ववीण चौधरी ने कांग्रेस के विधायकों की ओर सुवातिब होकर कहा कि ये तो गधे के बाप हैं। सर्ववीण चौधरी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला। इस पर स्पीकर ने रिकार्ड पढ़ लिया।

सर्ववीण चौधरी ने कहा कि सदन में गधे को पहले लाया कौन।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने पर भी भाजपा सदस्यों के इल्जामों को नकारा व कहा कि धर्मशाला का महत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वहां से 15 विधायक आते हैं। भाजपा सदस्य इतलिये विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली। मुख्यमंत्री ने भाजपा सदस्यों से सबाल किया कि आप को तकलीफ क्यों हो रही है। इस पर भाजपा सदस्य रविंद्र रवि ने कहा कि भाजपा विरोध नहीं कर रही है। उन्होंने सबाल किया क्या कर्मचारियों को राजधानी भत्ता अदा करेगे और क्या यहां से सचिवालय व बाकी निदेशालयों को यहां से शिफ्ट करेगे व इसके लिए क्या सरकार कर्ज लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्त आया तो हम देखेंगे।

रविंद्र रवि ने कहा कि जब भाजपा सरकार सत्ता में थी तो चार मंत्री धर्मशाला में बैठते थे। कांग्रेस सरकार का तो एक भी मंत्री वहां नहीं बैठता।

वीरभद्र सिंह ने भाजपा विधायकों को चुनौती दी कि वो लिख कर दे दें

कि वो कौन सा स्कूल, कॉलेज, पटवार खाना व तहसील बंद करवाना चाहते हैं। सरकार दूसरे दिन उन्हें बंद कर देगी। बाहर जाकर ये बोलो।

महेन्द्र सिंह ने मांग उठा दी कि मंडी को भी राजधानी बना दिया जाए। सीएम बोले मजाक कर रहे हो। ये एक राजनेता की मांग है, जिस दिन जनता की मांग आएगी तो सोचूंगा।

भाजपा के सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला से पांच देशों का शासन चलता था। सीएम बोले, आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या आपको दुख हो रहा है?।

वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के इस इल्जाम को कि नौकरियों में धांधलियां हो गई हैं, को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि धांधलियां तो भाजपा सरकार में हुई थी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सितंबर तक सभी पदों को भरा जाए। इन पदों को कमिशन व आयोग ही नहीं बीच बाइज भी भरा जाएगा।

इस पर भाजपा सदस्यों की ओर से कहा गया कि ये गधे कि बैकडोर एंटी करेगे, बाकी बजट का इंतजार करो।

सुरेश भारद्वाज ने राजधानी के मसले पर सबाल उठाए व कहा कि शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा के प्रेम में स्मार्ट सिटी को अंकड़ों से हेराफेरी कर धर्मशाला ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या हॉलीलेंज को धर्मशाला ले जाओगे।

वीरभद्र ने फिर व्यंग्यवाण फेंका व कहा रोहडू निवासी, मैं आपकी मानसिकता जानने लगा हूँ, मैं आपको शरीफ समझता था। इस पर भारद्वाज ने आपत्ति जताई कि शरीफ का विलोम क्या होता है। कौन सी बदमाशी की है येने।

वीरभद्र सिंह ने राजधानी के मसले पर सफाई दी कि शिमला पहले की तरह राजधानी रहेगी। स्मार्ट सिटी का मसला केंद्र सरकार का है। सीएम का दखल नहीं होता। मेयर व डिप्टी मेयर ने प्रजेडेशन दिया था। स्मार्ट सिटी का मसला दोबारा उठा।

भाजपा विधायक रविंद्र रवि ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भाजपा सदस्यों की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण किसी भी मसले का जवाब नहीं दिया व भाजपा ने जवाब से असंतुष्ट कर सदन से वॉकआउट कर दिया।

सीएम ने सफाई दी कि हर बार इसी तरह से जवाब दिया जाता रहा है। भाजपा सदस्यों की ओर से किया गया वॉकआउट राज्यपाल के प्रति अपमान है। ये उनके अभिभाषण को पास करने के बजाय वॉकआउट कर रहे हैं।

महिला दिवस के समारोह में ही नहीं बुलाई गई महिला विधायक

शिमला/शैल। महिला दिवस के मौके पर आयोजित सरकारी समारोह में महिला विधायकों को न्यौता न दिए जाने पर विरोध जताया। पहले भाजपा विधायक सर्ववीण चौधरी ने कहा कि विधानसभा में तीन ही महिला विधायक हैं। लेकिन महिलाओं के समारोह में उन्हीं को ही नहीं बुलाया गया। सर्ववीण चौधरी ने कहा कि महिला विधायकों व मंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। इस मसले पर उनका साथ कांग्रेस विधायक

आशा कुमारी ने भी दिया और कहा कि उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। उन्होंने स्पीकर बृज बिहारी डुटेल की मार्फत इसके लिए अपना विरोध जताया। विधानसभा में तीन ही महिला विधायक जीत कर आई थी। इन्में से दो कांग्रेस पार्टी की हैं व एक भाजपा की हैं उन्होंने को ही नहीं बुलाया गया। सर्ववीण चौधरी ने कहा कि महिला विधायकों व मंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। इस मसले पर उनका साथ कांग्रेस विधायक

प्रदेश के अस्पताल लाईलाज 22200में से 9087 पद खाली

शिमला/शैल। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो खुलासा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में हुआ है वो हैरान करे वाला है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल और टांडा मेडिकल अस्पताल, कांगड़ा में बहुत बुरी स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने सदन में खुलासा किया कि इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में 2278 पदों में से 1085 पद खाली हैं जबकि टांडा में 1341 में से 524 पद खाली हैं। सदन में खुलासा हुआ कि 22 हजार 200 पदों से पूरे प्रदेश में 9087 पद खाली पड़े हैं।

राज्य के सिरमौर, हमीरपुर, चंबा व और नेरचौक में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में भी बुरी हालात हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज में 1759 पदों में से 1752, हमीरपुर सारे 201, चंबा में 201 में से 200 और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 828 में से 773 पद खाली हैं।

प्रदेश में तीन जौनल अस्पतालों की स्थिति भी बहुत बुरी है। जौनल अस्पताल धर्मशाला में 186 में से 40, मंडी में 213 में से 28 पद खाली हैं लेकिन राजधानी शिमला के जौनल अस्पताल रिपन इन सबमें बहुत दयनीय

स्थिति में है। यहां पर 239 में से 90 पद खाली हैं। 9 रीजिनल अस्पतालों में 1550 पदों में से 460 पद खाली हैं जबकि 57 सिविल अस्पतालों में 2941 पदों में से 946 खाली हैं। पांच स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में 238 में से 122, 87 सीएचसी में 2250 में से 895, 530 पीएचसी में 3699 में से 1421 पद खाली पड़े हैं। कौल सिंह ने कहा कि पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नकाल ने कहा कि भाजपा के पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में कुल 473 पद सृजित हुए जबकि कांग्रेस की सरकार ने चार सालों में 3248 पद सृजित कर दिए हैं।

सरकार के हर विभाग में सैंकड़ों पद रिक्त चले आ रहे हैं और कुल रिक्त पदों की संख्या हजारों में है। जबकि एक लम्बेअरसे से मन्त्री मण्डल की हर बैठक में सैंकड़ों पद सृजित करने और उन्हें भरने के फौसले घोषित होते रहे हैं। लेकिन क्या यह पद सरकार ने सीधे भरने की बजाये इन्हें आऊट सोर्स के माध्यम से भरा है? क्या जिन विभागों में आऊट सोर्स के ठेकेदारों की सीधी दखल अन्दाजी नहीं हो पायी है उन विभागों में सृजन के बाद भी पद खाली रहे हैं। विधानसभा में

यह सबाल पड़े गये थे कि सरकार ने इस कार्यकाल में कितने लोगों को सीधे लोक सेवा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नौकरी दी है। जब सरकार लगातार भर्तियां करती आ रही है। उसे यह सूचना सदन में रखने से परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इसका जवाब यह कहकर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकार ने कितने लोगों को आऊट सोर्स के माध्यम से नौकरी दी है इस सबाल का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है ही आया है। सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु पर उसके आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है इसके तहत नौकरी मांगने वाले को सारी प्रक्रियाओं की अनुपालना करके नौकरी प्रदान की जाती है। इसके लिये वाकायदा मैडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह नौकरी छः हजार के दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी जाती है जब मृतक सरकार की स्थायी नौकरी में था तो फिर उसके आश्रित को दैनिक वेतन भोगी के आश्रित पर नौकरी क्यों? चपडसी और झूझवर्ग के साथ इस तरह की स्थिति चल रही है।